तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुल्तान खान बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 344/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-11-2022	अपीलार्थी सुल्तान खान अनुसंधान अधिकारी, ओरियंटल इंशोरेंस कम्पनी, बरकतुल्ला खां स्टेडियम के पास, जोधपुर हाल प्लॉट नं. 285बी, न्यू बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.07.2022 में (1) जियाराम पुत्र हमीराराम जाति विश्नोई निवासी बिराणी तहसील भोपालगढ के विरूद्ध मैसर्स जगजीत कंवर जज एन.ए.सिटी रोहिणी कोर्ट दिल्ली में अचल सम्पति की सूची चाही गई है। एक्सी. क्लेम में वसूली बाबत् कृपया उक्त जियाराम के जमीन व मकान आदि अचल सम्पति की सूची दिलाने, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार भोपालगढ को स्थानान्तरित कर दिया गया। तहसीलदार भोपालगढ द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 342 दिनांक 03.11.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथना पत्र में वर्णित सूचना में जियाराम पुत्र हमीराराम विश्नोई निवासी बिराणी तहसील भोपालगढ के खेत मकान आदि अचल सम्पति की सूची चाही गई। तहसील कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/आरटीआई/2022/271 दिनांक 28.08.2022 के जरिये आवेदक को सूचित किया गया कि सम्पति का पता खसरा नम्बर इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया तथा तहसील भोपालगढ में 79 राजस्व ग्राम है तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम का राजस्व रिकॉर्ड का अवलाकन करके जियाराम की सम्पति का पता लगाना अत्यन्त समय व श्रम लगने वाला कार्य है जो लोक सूचना अधिकारी के संसाधनों को अननुपाती रूप से विचलित करने वाला है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी(तहसीलदार भोपालगढ) द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है, द्वितीयत् किसी कार्यालय का पदाधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं ले सकता है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	